Reports under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1964.

Papers laid

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : महोदय मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार प्रधि-नियम, 1969 की धारा 62 के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हं :---

(i) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1976 की ग्रवधि के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार ग्रधिनियम, 1969 के उपबन्धों को लागू करने के संबंध में छठा वार्षिक प्रतिवेदन । [Placed in Library. See No. LT-2315/78].

(ii) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21(3) (ख) के अधीन खोपोली (वम्बई) में एसीटिल सेलीसिलिक ऐसिड़ आई० पी० (एसपिरिन) तथा अन्य सेलीसिलेट्स के उत्पादन के लिए अपनी क्षमतात्रों के पर्याप्त विस्तार हेतु मेसर्स आलता लोबोरेट-रीज प्राइवेट लिमिटेड, वम्बई के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग का प्रतिवेदन, और उस पर केन्द्रीय सरकार का आदेश दिनांक 2 मई, 1978 [Placed in Library. See No. LT-2314/78].

I. Report (April 1978) of the Law Commission of India on the Hindu Marriage Act, 1955

II. Report of the Law Commission of India on Article 320 of the Constitutution and related paper

श्वी नरसिंह: महोदय मैं निम्नलिखित पत्नों की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हं:---

> (1) (i) हिन्दू विवाह ग्रधिनियम, 195 के बारे में भारत के विधि ग्रायोग

इकहत्तरवां प्रतिवेदन (ग्रप्रैल, 1978) विवाह के ग्रसुधार्य रूप से टूट जाने को विवाह-विच्छेद के ग्राधार के रूप में लिया जाना।

(ii) संविधान के ग्रनुच्छेद 220 के सम्बन्ध में भारत के विधि ग्रायोग का बहत्तरवां प्रतिवेदन : स्थायी न्यायाधीश होने के पश्चात् वकालत पर निर्बन्धन ।

(2) (1) ऊपर (i) में उल्लिखित प्रतिवेदनों का हिन्दी पाठ साथ-साथ सभा पटल परन रखने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[Placed in Library. See No. LT-2313/78 for (1) and (2)].

## Report of the Railway Convention Committee

SHRI SYED AHMAD HASHMI (Uttar Pradesh): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Third Report of the Railway Convention Committee on the action taken by Government on the recommendations contained in the Ninth Report of the Com. mittee, 1973, on Social Burdens on Indian Railways.

## Petition Re working and service conditions of the extra departmental employees of the Posts and Telegraphs Department

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON (Kerala): Sir, I beg to present a petition signed by Shri B. K. Samantarary, Mail Carrier, Cjo Sub-Postmaster, Nuapada (Ganjam) and 33 others regarding working and service conditions of the Extra Departmental Employees of the Posts and Telegraphs Department.

ł.